संख्या 28/03/2009-P&PW(B)
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई, 2017

सेवा में,

मुख्य सचिव,
पुडुचेरी सरकार,
पुडुचेरी

**विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के पेंशन के संशोधन के तर्ज पर पूर्व-फ्रांसीसी पेंशन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पुडुचेरी पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन के संबंध में ।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं.38/37/2016- P&PW(A)(i) और (ii) के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के पेंशन के संशोधन के तर्ज पर पूर्व-फ्रांसीसी पेंशन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पुडुचेरी पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है । राष्ट्रपति द्वारा अब निर्णय लिया जाता है कि पुडुचेरी पेंशनभोगी और कुटुंब पेंशनभोगी भी इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखितानुसार छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के समय निर्धारित पेंशन/ कुटुंब पेंशन को 2.57 से गुणा करके प्राप्त संशोधित राशि के अनुसार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे । तथापि, इस विभाग के दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/2016- P&PW(A) के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध वेतन निर्धारण विधि के अनुसार पेंशन के संशोधन से संबंधित आदेश इन पूर्व-फ्रांसीसी पेंशन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए लागू नहीं होगा।

2. उपरोक्त संदर्भित पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी, सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार संशोधित पेंशन पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बाद प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई राहत पाने के भी पात्र होंगे।

3. प्रत्येक मामले में पुडुचेरी सरकार द्वारा पेंशन/ कुटुंब पेंशन को इन आदेशों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से संशोधित किया ज़ाएगा और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण को संशोधित पेंशन भुगतान के आदेश जारी किए जाएंगे । यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पेंशन/ कुटुंब पेंशन के संशोधन के पहले लाभार्थियों का समुचित और पूरी तरह से प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए ।

4. उल्लिखित लाभ ऐसे पेंशनभोगियों/ मृतक पेंशनभोगियों के कुटुंब के मामले में स्वीकृत नहीं होंगे जिन्होंने फ्रेंच राष्ट्रीयता का विकल्प चुना है और फ्रेंच सरकार से मेट्रोपोलिटन पेंशन आहरित कर रहे हैं ।

5. ये आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 13.07.2017 के आईडी सं. 30-1/33(iii)/2016-IC के तहत जारी किए जाते हैं ।

भवदीय,

(हरजीत सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि :

1. गृह मंत्रालय (सीपीडी (पीयूडीपी) डेस्क), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001
2. कार्यान्वयन कक्ष, व्यय विभाग, अशोक होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
3. समय समय पर जारी राहत आदेशों में अपेक्षित और उपयुक्त निगमन के लिए डेस्क जी की प्रति ।
4. विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने के लिए एनआईसी सेल ।